SHRI S. A SHAMIM: He has not ceased to be Mr. Swell.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA I will ask again: "Where is the end?" The next point I want to make with your permission, Sir, is that even during the British days, we were in jail. I do not know how many of the Congressites were there in the British jails but at that time,, there was a rule that a detenu will be treated in such-and-such a manner If they are the earning members of the family their families used to get family allowance Now all these have been stopped Recently a memorandum has been sent by the inmates of the Tihar Jail, which says: there is no family allowance no guarantee for minimum amount of food which is necessary for a human being, no facilities for meeting the relatives regularly and no clothing This is the memorandum which they have submitted to the Governor I hope he has received a copy of it No action has been taken on that

I know three or four cases where the detenus have died because there was no treatment inside the jail There is the famous case of Bihar Bharati in Rajasthan There are similar cases in Assam and other States The minimum treatment should be guaranteed to the detenus Though there is a provision, they are not acting on that provision Under section 6 you have to make a rule You will say that the State Governments have to do it But ultimately, it is your Act You have to guarantee the minimum conditions, decent living conditions inside the jail and medical treatment, family allowance and other allowances which they were enjoying even during the British days So, I would request the Minister to look into it

With these words, I emphatically oppose the proposed Bill I say that it is nothing but giving a bluff to the people to say it is the end It is not the end They will again come with another extension, nobody knows how long

MR. DEPUTY-SPEAKER: As agreed, we will have another one hour for the Members on Monday, or whenever this is taken up. Now we take up Private Members' Business.

15.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-FIFTH REPORT

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur): I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th August 1976."

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

> "That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions Presented to the House on the 12th August, 1976"

The motion was adopted

15.33 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd

(*Amendment of article 75*) *by Shri Bibhuti Mishra*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the Bill to amend the Constitution by Shri Bibhuti Mishra. Two hours were allotted One hour was taken and one hour is the balance. Shri Hari Singh was on his legs on the last occasion. He may continue his speech.

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत ही अनुभवी तथा पुराने स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बड़ा कार्यशील और पुरजोर भाग लिया संविधान में संशोधन करने वाला बिल पेश किया है जिस पर हम विचार कर रहे है। इस बिल में उन्होंने दो मुद्दे दिए हैं। एक तो यह कहा है कि मंत्री दो टर्म से अधिक नहीं रहना चाहिये और दूसरे एक मंत्री को पंद्रह सौ से अधिक वेतन नही मिलना चाहिए। पहले का मकसद यह हैं मंत्री पावर का मोनोपोलाइज न कर सके।

15.24 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

मैं समझता हू कि उन का खयाल यह है कि मंत्री बन जाने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को सत्ता में बनाये रखने के लिए ऐसे साधन अपना सकता है, जिन के कारण उस को हटाया ना जा सके। मे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का असली रूलर यहां की जनता है–इस देश मे रीयल सॉविरेन यहा के करोड़ों वोटर हैं, जो यह फैसला करते हैं कि उन पर हुकुमत करने का हक किस को है। प्रजातंत्र का यह उसूल है कि जनता की शक्ति जनता के लिए होती है, मंत्री के लिए नही होती है जो मंत्री जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, उस का शोषण करेगा और शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेगा, वह ज्यादा दिन तक अपने पद पर टिक नही पायेगा, क्योंकि हर पाच छ साल के बाद उस को जनता की अदालत के सामने पेश होना पड़ता है।

मंत्री पद केवल सत्ता में बने रहने के लिए नही है, बल्कि इतिहास के पन्ने इन उदाहरणों से रंगे हुए हैं कि विभिन्न देशो में मंत्रियों ने अपने देशो की प्रगति और निर्माण करने में कितना क्रियात्मक पार्ट अदा किया हैं ग्लैडस्टोन ने जो एक बड़े राजनेता और विद्वान हुए हैं, और जो सत्ता में भी रहे हैं कहा है :

> "The desire for office is the desire of ardent minds for a large space and scope to serve the country and for command of that powerful machinery which the Government departments supply."

मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक माध्यम है हमारे देश मे केवल एक्सपर्ट ही मंत्री नहीं बनते हैं। जिन लोगों को किसी विभाग विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वे भी उस विभाग के मंत्री बना दिये जाते हैं। मैं इस बात से सहमत नही हू कि हर व्यक्ति मंत्री बन जाने के बाद उस पद पर अपनी मोनोपली रखेगा, या उस का दुरुपयोग करेगा। श्री रफी अहमद किदवाई हमारे यहा मंत्री थे। मैं नही जानता कि उन्होंने सत्ता की क्या मोनोपली की। लेकिन उन के मरने के बाद अखबार में निकला था कि वह लाखों रुपयों के कर्ज से लदे हुए है। इस मौके पर मे यह भी याद दिलाना मुनासिब समझता हूं कि चर्चिल दो बार इगलैड के प्रधान मंत्री रह चुके थे। जब उन के देश का जर्मनी से युद्ध हुआ, तो चेम्बरलेन की जगह उन को प्रधान मंत्री बना दिया गया। मंत्री को जो तरह तरह का अनुभव होता है, वह काम करता है।

अगर मंत्री को यह ख्याल हो जाये कि दो टर्म के बाद उस को मंत्री नही बनना है, तो वह ज्यादा पावर एक्युमुलेट करेगा। अगर उस के सिर पर इस तरह की स्वोर्ड आफ डेमोक्लीज लटकाई जायेगी, तो वह भ्रष्टाचार और काले धंधे अपना कर दूसरी तरह की ताकत पैदा कर सकता है, जिस की बदौलत वह पुश्त-दर-पुश्त खा सकता है—वह उन साधनो को इकट्ठा कर सकता है, जो राजनैतिक सत्ता को खरीद सकते हैं।

इस देश में और बाहर भी ऐसी बहुत सी मिसाले हैं कि कई व्यक्ति कभी मंत्री नहीं

[श्री हरि सिंह]

बने, लेकिन फिर भी बहुत भारी राजनैतिक सत्ता उन के हाथों में रही और उन्होंने सियाह का सफेद और सफेद का सियाह कर दिया । इतने बड़े देश के अन्दर कितना बड़ा काम होता है, कितनी वेराइटीज हैं, मुख्तलिफ समस्याएं हैं, प्रत्येक विभाग में अनेक तरह के सवाल होते हैं, उन को समझने के लिए कुछ समय चाहिए । जैसे ही उन को कुछ अनुभव होता है उस के बाद उन को हटाने की बात हो जाती है तो यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता है और संविधान में इस तरह की पाबन्दी लगाना बहुत उचित नहीं होगा । आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जिन को यह सब कुछ चलाना होता है वह देखते हैं कि में किस टीम के साथ काम अच्छी तरह चला सकता हूं, मैं किस मंत्री को साथ ले कर देश की भलाई कर सकता हूं । सत्ता के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी बात याद है जो मैं ने एम ए में पढ़ी थी । फांसिस बेकन ने एक बात लिखी है :

"Men in great places are thrice servants servants of Sovereign or State, servants of fame and servants of business."

यही नहीं, उन्होंने एक बात यह और कही है :

"It is strange desire to seek power and loss liberity."

मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं : H. Wilson said,

"The only limits of power are the bounds of belief."

तो सत्ता का यह जो ख्याल है यह कोई ऐकचुअल पावर से नहीं होता है । आदमी के दिल में क्या है इस पर यह निर्भर करता है । वह सत्ता का किस प्रकार उपयोग करना चाहता है, उस से देश और समाज का कल्याण करना चाहता है या उस से अपने को ताकतवर बनाना चाहता है और देश पर हुकूमत करना चाहता है इस पर निर्भर करता है । इस में आप को भेद करना पड़ेगा । इस मौके पर एक बात मुझे और याद आ गई । जो सत्ता में बने रहने का ख्याल बनाए रहते हैं वे मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं । महात्मा गांधी कभी सत्ता में नहीं थे लेकिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वह किस बल पर और उस में हिन्दुस्तान के हजारों और लाखों लोगों को उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा दिया, क्या वह ताकत नहीं थी ?

That was also the monopoly of power.

अगर आप पावर की बात करते हैं तो में इस को इस तरह से इंटरप्रीट कर सकता हूं । मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं :

P. J. Bailey said,

"We live in deeds not years, in thoughts, not breaths; in feelings, not in figures on a dial. We should count time by heart throbs, he most lives, who thinks most, feels the noblest acts the best."

वास्तविक समय अगर आप काउंट करेंगे तो वह तो जो बेस्ट सर्विस वे करते हैं वही समय काउंट किया जायेगा और उसी के माने होते हैं । यों तो आप मंत्रियों पर अगर दस साल की पाबन्दी लगाएंगे तो दो साल में भी वह बहुत कमा सकता है, भ्रष्ट बन सकता है, सत्ता को दो साल में भी गलत इस्तेमाल कर सकता है । तो संविधान में इस चीज को रखने का यह संशोधन मुझे अच्छा नहीं लगा । यह तो देश की जो पार्टीज हैं, पार्टीज के लीडर्स हैं वे निश्चय कर सकते हैं कि हम को कितने समय के बाद मंत्री को हटाना है, कितने समय के बाद नहीं हटाना है ।

एक बात मैं दूसरे संशोधन के बारे में कह दूं । 15 सौ रुपये की जो बात कही गई है वह भी कुछ मुनासिब नहीं है । आप जानते हैं कि धन का और मूल्यों का उलट फेर रहता है, उस में घटती बढ़ती होती रहती है । संविधान

मैं इस बात का रखने के बाद आदमी की एफि-शियंसी कितनी रह जायेगी यह आप सोचे । क्योंकि यह मांग और आवश्यकता ये सब चीजें तो बढ़ती रहती है । हिंदुस्तान में जहां 40 प्रतिशत पावर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं वहां तनख्वाह या धन के अभाव में एफिशियेंसी से लोग काम करेंयह क्या संभव होगा ? तनख्वाह अगर नहीं होगी या कम होगी तो वे नाजायज तरीके से रुपया कमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हालां कि इन संशोधनों की भावना अच्छी मालूम पड़ती है लेकिन यदि देश को मजबूत बनाना है और प्रजातंत्र को चलाना है तो ये दोनो संशोधन पास किए जाने लायक नहीं हैं । मैं इन का विरोध करता हूं और अपने बुजुर्ग साथी श्री विभूती मिश्र जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन दोनो संशोधनों को वापस ले ले ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, पंडित विभूति मिश्र जी ने जो यह विधेयक पेश किया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस में दो बात हैं । पहली बात इसमें यह कही गई है कि कोई भी मन्त्री दो बार से अधिक मंत्री न रहे । इसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि नये लोगों को मौका मिलना चाहिए । यह जो शासन पर भी इजारेदारी बनती जा रही है, जैसे हमारे देश में और बहुत सारी इजारेदारियां हैं, उसी प्रकार शासन की इजारेदारी भी कुछ लोगों के ही हाथ में न रहे—इस को तोड़ने की बात उन्होंने कही है । इसका लाजमी नतीजा यह होगा कि नये नये टैलेन्ट्स, नये नये अक्लमन्द लोग या शासक पैदा होंगे और वे देश का काम अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं । **(व्यवधान)** इसको मैं लाजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहता हू । व्यक्तिगत तौर से मेरा बहुत दिनों से विचार है कि लेजिस्लेचर्स में, विधान सभाओं, विधान मण्डलों, राज्य सभा और लोक सभा में दो टर्मस से ज्यादा लोगों को नहीं चुना जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को इस बात का खयाल रखना चाहिए । पार्टियों में अलग बहस होगी किस की क्या नीति होगी वह मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस तरह, का समय आ गया है, इस पर भी विचार हो सकता है । इस तरह का बातों को हम समझें और देश इसको सोचे । हम लोग जो विधान सभाओं और संसद में आते हैं वे भी इसको सोचे कि इस तरह का समय अब आ गया है या नहीं । पंडित जी ने तो इसको मंत्रियों तक ही सीमित कर दिया है । यदि इसको वहीं तक सीमित कर दिया जायेगा तो यह सवाल उठेगा कि फ़िर पंडित जी इतने दिनों से यहां पर क्यों हैं । ऐसा सावल उठ सकता है इसलिए मैं समझता हूं यह सभी पर लागू होना चाहिए । मैं तो इस सीमा तक जाने वाला, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है इसी वजह से मैं इस पर बोलने के लिए उठा वरना बोलता ही नहीं ।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि पार्टियों को अभी निर्णय लेना बाकी है ।

दूसरी बात उन्होंने तनख्वाहों के बारे में कही है । उन्होंने तर्क दिए हैं कि डेढ़ हजार से अधिक तनखवाह मंत्री को नहीं मिलनी चाहिए । अभी तीन, साढ़े तीन और चार हजार तक तनख्वाहें हैं । एक तरफ़ हम गरीबी की बात कहते हैं । सचमुच में हमारा देश गरीब है । सम्भवत: 40 फ़ीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । ऐसी स्थिति में अगर हम सादगी का उदाहरण पेश करें, मंत्रीगण, विधायक और हम ससद लोग तो उसका देश की जनता पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जनता समझेगी कि ये लोग भी हमारी तरह रह कर हमारी सेवा करना चाहते हैं । आज जनता वोट तो दे देती है लेकिन बाद में नुक्ताचीनी करने लगती है जब हम लोग सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं । पेंशन की बात अभी चल रही है और सुना है कमेटी ने उसकी सिफ़ारिश भी

[श्री रामावतार शास्त्री]

कर दी है और मंत्रिमंडल ने भी उसको स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में लोगों को सन्देह पैदा होता है कि क्या कुछ लोग ही सारी सुविधाओं का उपभोग करें और जनता जनार्दन गरीबी की रेखा में ही पिस्ती रहे। इसलिए यह सवाल उठता है। अगर इस सन्दर्भ में देखा जाये तो पंडित जी का विधेयक बहुत ही माकूल है। वह कह रहे हैं कि सादगी दिखलाइये, केवल दूसरों को ही सादगी का उपदेश मत दीजिये। कभी कभी हम लोग मंत्रियां के यहा जाते है तो वहा सुनने को यह उपदेश मिलता हैं कि देश में गरीबी है, हम लोगां को थोड़ा सादगी का व्यवहार करना चाहिये। यह बात कहने और सुनने में तो ठीक है, लेकिन वे स्वयं इस का व्यवहार नहीं करते हैं। पंडित जी का यह विधेयक हम को उस तरफ प्रेरित करेगा, अगर आप इस को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर सब को इसे मानना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि उन की मंशा बहुत सही है, इस मे उन्हांने कहा है कि सब मिला कर डेढ़ हजार रूपया मिलना चाहिये, देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल ठीक है। आगे चल कर जब जनता की स्थिति सुधर जायगी, हम सब लोग मिल कर जो प्रयास कर रहे है, जब वे सफल हो जायेंगे—तब फिर इस के बारे में सोच सकते हैं। आज बीस सूत्री कार्यक्रम को लेकर देश में जो कार्य चल रहा है, अगर सचमुच ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार, सरकारी अफसरान, तमाम राजनीतिक दल, जो इस कार्यक्रम का समर्थन करते है, ठीक से काम करें तो हम जनता की स्थिति को सुधार सकते है, उन के जीवन स्तर को ऊंचा ऊंठा सकते हैं। हमारे देहातों में आज जो विषमता फैली हुई है, जहां सामन्तवाद पल्थी मार कर बैठा हुआ है, हम उस को तोड़ सकते हैं, जनता में एक नई आशा पैदा कर सकते हैं। जब ऐसी बात होगी, तब फिर हम इस के बारे में भी सोच लेंगे कि हमारे मंत्रियां का स्तर भी कुछ बढ़े, विधायकों और संसद सदस्यों का भी स्तर बढ़े। मैं इसी दृष्टिकोण से पंडित जी के इस विधेयक को देख रहा हूं और मैं समझता हूं कि इसी दृष्टिकोण से इस को देखना भी चाहिये। अगर इसी दृष्टिकोण से आप भी देखेंगे तो जनता का समर्थन हमें अवश्य मिलेगा, जनता, आप की तारीफ करेगी, प्रशंसा करेगी। आज भी देश में ऐसे लोग है जो इस तरह का सादगी का व्यवहार अपने जीवन में करना चाहते हैं। इसी लिये मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ और मैं ने अपनी व्यक्तिगत राय आप के सामने व्यक्त की है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, राजनीतिक नेताओं के व्यावहारिक जीवन का प्रभाव समाज और देश पर पड़ता है। जो व्यक्ति भाग्य से देश और समाज का नेतृत्व करता है, उस के व्यावहारिक जीवन का प्रभाव समाज और देश पर पड़ता है, लेकिन उस की तरफ अंगुलि उठाने का अधिकार भी सब को होता है। जो व्यक्ति जनता का नुमाइन्दा बनता है, उस की तरफ अंगुलि उठाई ही जाती है और जब वे गद्दी पर बैठ कर अच्छे अच्छे भाषण देता है तो लोग कहते हैं कि पहले अपने घर को सुधारो, चैरिटी बिगिन्ज एट होम। यही बात हमारे मिश्र जी ने भी इस विधेयक में रखी है, यह उन के अन्तर की आवाज है, इनर-वाएस है। उन्हांने कहा है—आज की परिस्थिति को देखते हुए, हिन्दुस्तान के साधारण आदमी की आमदनी को देखते हुए इस में कमी होनी चाहिये।

दूसरी बात उन्हांने यह कही है—मंत्रियों को दो टर्म से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। अगर वे इस बात को दोनां के लिये कहते तो मुझे ज्यादा ठीक मालूम पड़ती, मंत्री ही नहीं सदस्य भी दो टर्म के लिये आयेगा, तब यह बात कुछ ठीक नजर आती। आज भी ऐसे

बहुत से सदस्य हैं जो तब से मौजूद हैं जब से संसद बनी थी। जो पुराने लोग हैं उनसे हमें फ़ायदा मिलता है, उनके अनुभव हम उनसे सुन लेते हैं। हर आदमी की इच्छा आगे बढ़ने की रहती है। पीछे कोई नहीं देखता है। बीते हुए जमाने की ओर कोई नहीं देखता है। आगे बढ़ना ही जिन्दगी है। पांडे जो बैठे हुए हैं वह दो टर्म के बजाय चार टर्म के लिए आना चाहेंगे मन्त्री बनना चाहेंगे और अगर मन्त्री बन गए तो छोडने का सवाल ही नहीं है। यह आदमी की नेचर है। अब आप जो कह रहे हैं यह कहां तक व्यावहारिक है इस पर आपको विचार करना चाहिये। अब पन्द्रह सौ में कपड़ा भी शामिल है, मकान का किराया भी उसको इसी में से देना होगा। राजस्थान आदि में एक एम एल ए को 51 रुपया मिल रहा है। हरियाणा जैसा छोटा राज्य भी अपने एम एल ए को 51 रुपये, दो सौ रुपये कंस्टिट्युएंसी एलाउन्स फोन का खर्चा आदि देता है। हमारे सैयद मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं। ये बडे बैरिस्टर हैं। 3500 रुपया वह एक केस में ले लेते रहे होंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए आपने 3500 रुपया कर दिया है और गाडियों का खर्चा और पेंशन भी उनकी आप बरदाश्त करते हैं। पूरी गर्मी के अन्दर कोई मन्त्री काम करता है तो उसको आप केवल पन्द्रह सौ देना चाहते हैं इसमें कैसे उसका काम चल सकता है। शायद आप यह उम्मीद करते हैं कि वह एक टाइम खाना खाकर जिन्दा रहे। वर्ना कैसे उसका इतने रुपये में काम चल सकता है। मेरा दिमाग तो काम नहीं करता है। हम खुद इसके शिकार हैं जो छोटी छोटी कोर्ट में वकालत करने वाले हैं पार्लियामेंट में गए हैं। अगर आर्डिनरी धोती और खड़ाऊं पहन कर आए तब तो बात अलग है, बिल्कुल सादा रहे तब तो बात अलग है वर्ना इसमें रहा नहीं जा सकता है। अब आपने इनके लिए लिख दिया है 1500 रुपये और मकान का किराया भी इनको उसमें से देना होगा। दिल्ली में मकानों के कितने किराए हैं इसको आप जानते ही हैं। फिर टेलीफ़ोन का खर्चा है। एक पीक तक का महीने का छः सात सौ रुपया टेलीफ़ोन का खर्चा आ जाता है। अब आपने उनके लिए हुक्म दे दिया है कि पन्द्रह सौ उनको दिया जाए। आदर्शवाद की बात आप करें तो यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। यह ठीक है कि आप विषमता को कम करना चाहते हैं। आप देखें कि हजारों टन रामायण भारत में बिक गई होगी, कुरान बिक गया होगा, बाइबल बिक गया होगा और लोग पढ़ चुके होंगे लेकिन उनके अनुसार चलता कौन है। हम को धरती पर उतरना होगा। आसमान में ही हम उड़ते न रहें।

आप तो जानते ही हैं कि पन्द्रह अगस्त को जब हमें आजादी मिली तब महात्मा गांधी नोआखाली में थे। उन्हें शासन के प्रति आकर्षण नहीं था। बड़े त्यागी थे। लेकिन आम जो आदमी है उसको आप लें। आप चाहते हैं कि मन्त्री को पन्द्रह सौ मिले। मैं समझता हूं कि अगर आपने इसको कर दिया तो उनकी बीवियां उनको तंग और परेशान कर देंगी उनकी नींद हराम कर देंगी। अगर किसी का आगे पीछे कोई न हो, वह कंवारा हो, मस्जिद, मन्दिर, जिसका घर हो वही पन्द्रह सौ में रह सकता है।

बंगले में रहने वाला 1500 रुपये में रहे, और हम उसके यहां जायें और कहें कि चाय पिलाओ और मंत्री चाय न पिला सके तो यह बुरी बात है। मुझे यह बात व्यावहारिक नही लगी। मैं आपके आदर्श को मानता हूं लेकिन आपके बराबर इस बात के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ढोंगी बनने के निस्बत कि बाहर से तो बगुला भगत बने रहें और अन्दर से कुछ और हों, तो यह गलत है।

[श्री मूलचन्द डागा]

16 hrs.

मुझे अगर कहा जाये कि कितना रुपया मिलना चाहिये तो मैं तो कहूंगा कि एक मेम्बर पार्लियामैंट को 7 हजार रुपये महीना मिलना चाहिये, अगर उससे काम कराना है। कम-से-कम मंत्री को तो पूरा रुपया देना चाहिये, लेकिन वह काम करने वाला हो। मकान भी हो, उसमें काम करने वाले आदमी भी हों, उसे पूरी सहूलियत होनी चाहिये, सुविधाएं होनी चाहियें। जितनी सुविधाएं दी जायेंगी, आदमी उतना आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका सही उपयोग करने वाला होना चाहिये। वह सुविधाओं का उपयोग कैसे करे, यह बात अलग है। एक ऐश में पैसा खर्च कर सकता है और दूसरा देश को आगे बढ़ाने के लिये खर्च कर सकता है। आप पहले एक विधेयक लाये कि मंत्री को 1500 रुपये मिलना चाहिये। उस टाइम में और अब में मंहगाई का बड़ा फर्क है, उस हिसाब से तो अब 5, 6 हजार हो जाते हैं। वह जमाना और था जब महात्मा गांधी ने कहा था कि मंत्री को 500 रुपये माहवार मिलना चाहिये। लेकिन उसके हिसाब से अब मंहगाई बहुत बढ़ गई है। मैं यह चाहता हूं कि जितना हम आदर्शवाद की बात करें, उतना ही हमें जिम्मेदारी से बढ़ने की बात भी जरूर करनी चाहिये। अब एक मंत्री बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन इस तरह करने से तो कोई भी अनुभवी आदमी रह नहीं सकेगा।

मेरा कहना यह है कि मेम्बर पार्लियामेंट बनने के बाद एक दफे में तो यह मालूम पड़ता है कि में कहां हूं। मुझे अभी तक भी इस गोल बिल्डिंग की कई बातें मालूम नहीं हुई। जब मैं आया था तो कई दिनों तक यह नहीं जान सका कि कहां क्या होता है। मैं तो सोचता हूं कि मंत्री लोग भी अफसरों की बारीकी को कैसे पहचानते होंगे। ये बड़े घुटे-घुटाये अधिकारी होते हैं। ये इतने माहिर और होशियार होते हैं कि इनको समझने के लिये समय चाहिये। अब जैसे ही कोई समझकर तैयार हो और उससे कहो कि तुम जाओ तो सारा काम खराब हो जाता है। उसमें जनता का और पार्टी का विश्वास होना चाहिये। यह तो लोगों पर डिपेंड करता है कि किस को भेजते हैं।

सभापति जी, समय बहुत कम है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि श्री विभूति मिश्र जी अपना यह बिल वापिस ले लें, क्योंकि यह समय के अनुकूल नहीं है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): सभापति जी, हमारे वयोवृद्ध नेता, उम्र में वयोवृद्ध, भावना से बिल्कुल तरुण, हमारी पार्टी की राजनीति के सन्त कबीरदास, अपनी मौलिकता के लिये विख्यात हैं। यह दूसरी बात है कि इस विधेयक के द्वारा जो उनका मकसद है, वह मकसद बिल्कुल आधुनिक समय के प्रतिकूल है और असलियत से खाली है।

उन्होंने अपने बिल में यह विषय रखा है कि यदि मंत्री महोदय दो टर्म से अधिक अपने पद पर रहते हैं, तो उन का उस पर एकाधिकार हो जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जब पद पर आ जाता है, तो वह उसका दुरुपयोग करता है, और अगर वह दो टर्म तक दुरुपयोग करे, तो चलने दिया जाये, और उस के बाद उस के दुरुपयोग के अवसर पर रोक लगा दी जाये।

हर मंत्री को, जो लोक सभा का सदस्य है, पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् जनता के सामने वोटों की भिक्षा मांगनी पड़ती है। प्रत्येक मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री और संसद-सदस्य को हर पांच वर्ष के बाद एक कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। अगर जनता-जनार्दन की कृपा हुई, और उन का कार्य अच्छा रहा, तो वह इस संसद् में फिर आयेंगे।

लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर वह इस संसद् में आ जायें, तो फिर उन को मंत्री बना दिया जायेगा । कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी दौड़-धूप करनी पड़ती है, कितनी योग्यता दिखानी पड़ती है, और गले के नीचे कितनी उन बातों को उतारना पड़ता है, जो अगर वह उतारना नहीं चाहते हैं, तब आदमी मंत्री बनता है । मंत्री बनना बड़ा भारी और मुश्किल काम होता है ।

दो दो कठिन परीक्षाओं में से गुजरने के बाद कोई आदमी मंत्री बन सकता है । और दो टर्म तक चलना आज-कल के जमाने में वैसे भी एक बड़ी अद्भुत बात होती है । मैं प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा प्रतिबन्ध न लगायें ।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री डागा ने कहा है, नौकरशाही में बड़े बड़े चतुर और काबिल आदमी होते हैं, जो अपना सारा जीवन कार्यालयों में काम करते हुए बिताते हैं । ब्यूरोक्रेसी वह तेज घोड़ा है, जिस की लगाम अगर खींच ली जाये,— टाइट कर दी जाये, तो आदमी उलट जायेगा, और अगर उस की ढील दे दी जाये, तो न मालूम कितनी दूर, किस खाई खंदक में जा कर गिरेगा । नये नये मंत्रियों के लिए शुरू में इस को सम्भालना बड़ा मुश्किल होता है । इसलिए जो मंत्री अनुभवी और कुशल होगा, वही ब्यूरोक्रेसी को सम्भाल सकेगा । यह स्पष्ट है कि मंत्री जितना अनुभवी होगा, वह शासन को उतना ही दृढ़तापूर्वक और कुशलतापूर्वक चलाने में सफल होगा ।

. . .

जहां तक वेतन पर हदबन्दी का सम्बन्ध है, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि करांची का कांग्रेस सेशन लगभग 30, 40 साल पहले हुआ था । उसमें कहा गया था कि मन्त्री की तनख्वाह 500 रुपये से अधिक नहीं होगी । उसके बाद इतना जमाना बीत गया है । अगर 500 रुपये में अनुपात से वृद्धि की जाये, तो वह रकम 1500 रुपये से कहीं अधिक होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोरे आदर्शवाद की सीख देना काफ़ी नहीं है । माननीय सदस्य असलियत को देखें । दिल्ली में एक-एक मैम्बर के यहां पचासों आदमी आते हैं । मुझे याद है कि एक मर्तबा कोई विवाद पैदा हुआ था, तो स्वयं प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि तनख्वाह हम लोगों की बढ़नी चाहिए, जिनके यहां पचासों आदमी आते हैं और ठहरे रहते हैं । यहां पर सदस्यों का तो काम चलता नहीं 1 हजार रुपये में और मकान का किराया अलग देते हैं, मन्त्रियों की तनख्वाह अगर 1500 रुपये रखी गई और उसमें मकान का किराया आदि भी शामिल है तो हम समझते हैं कि न तो कोई योग्य आदमी आएगा और न काम ठीक तरह से चलेगा । यह देश केवल विनोबा भावे या महात्मा गांधी या अन्य वरिष्ठ और सुयोग्य संन्यासियों का ही नहीं है । इसमें हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, हर आदमी का परिवार होता है, उनका दायित्व होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने प्रति । यहां पर सेंट्रल हाल में बैठे हुए 15–20 रुपये चाय काफी में उड़ जाते हैं । तो फिर यह कैसे चलेगा ? यह सन्यासियों के लिए राज नहीं रखा गया है । राज्य में जो कोई भी होगा, जिसको कि अधिकार और सुख वांछनीय है उसको लामुहाला अपने स्टैण्डर्ड को बढ़ाना पड़ेगा । तनख्वाह उसकी अच्छी होगी । यूरुप के देशों को देखिए, अमेरिका को देखिए, सब जगह जो विधायक हैं उनकी तनख्वाह हम लोगों से कई गुना ज्यादा है और मन्त्रियों की तनख्वाह तो उनके मुकाबिले में यहां कुछ है ही नहीं . . . (व्यवधान) . . . मेम्बर को 16 हजार पौंड मिलते हैं जैसा कि पांडेय जी निवेदन कर रहे हैं । इसलिए इन सब बातों को करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है । हमें तो चाहिए कि जन-साधारण के दृष्टिकोण से देखें । पालियामेंट का जीवन भी एक

[श्री वी॰ आर॰ शुक्ल]

कैरियर की तरह से है। अगर कोई आदमी बहुत ब्रिलिएंट है, आई सी एस हो जाता है, जज होता है, एडवोकेट होता है, डाक्टर होता है तो सब जगह तो मनमानी धन कमाए और अगर किसी को यह शौक पैदा हो गया कि हम यहां संसद् के सदस्य ही जायं तो इसके मानी यह हैं कि अपने पेट पर और कमर पर चारों ओर कस कर पट्टी बांध लें और केवल एक यह कहे कि हम बड़े बड़े संन्यासियों को मानने वाले हैं। जहां जहां भी देश के बड़े से बड़े नेताओं ने चाहे वे धार्मिक रहे हों चाहे राजनैतिक, असलियत से अपनी आंख बन्द की, असलियत से हट कर बात की वहां वहां उनका फेल्योर हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि केवल भिक्षु होंगे, स्त्रियां भिक्षुणी नहीं होंगी लेकिन बाद में यह नहीं चला। स्त्रियां भी भिक्षुणी बनाई गई। उन्होंने कहा कि किसी जानवर की हत्या नही करनी चाहिए। आज चीन और जापान सब जगह देख लीजिए, बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी जानवरों की हत्या कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि झोंपड़ियों की तरफ आप बार बार क्यों देखते हैं? रूस मे जब ज़ार का शासन था उस जमाने में ये होता था कि बड़े बडे घरानो की स्त्रियां थियेटर देखने जाती थी और रात में लौटती थीं तो अपने कोचवान को जो बिना वस्त्र के ठिठुरते हुए होते थे, उनको कोड़े मारती थी और थियेटर में जब गरीबों का चित्र दिखलाया जाता था, उनकी गरीबी दिखलाई जाती थी तो सिसक सिसक कर रोती थी। श्मशान में जाय तो आदमी को वैराग्य पैदा होता है और जैसे ही वहां से लौटते हैं फिर दुनियावी कामों मे वह लग जाते हैं। मे चाहता हूं कि वास्तविकता और आदर्श दोनों में सन्तुलन होना चाहिए। हमें गरीबों के लिए हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि गरीबों की दशा सुधरे। उसके लिए कानून पास हो रहे हैं, सम्पत्ति पर हदबन्दी लगायी जा रही है। इन सब से यह होगा। महज मन्त्रियों की तनख्वाह कम कर देने से, उनको मिलनेवाला भत्ता घटा देने से या उनका रहन सहन ऐसा बना देने से कि अगर उनके यहां दस आदमी आ जायं तो बैठने के लिए कुर्सियां भी न पाएं, इससे कुछ नहीं होगा।

अगर आप चाहते हैं कि विषमता दूर हो तो ये हमारे साथी जो उस तरफ बैठे हुए हैं जो सोवियत रूस की प्रणाली के हामी और समर्थक हैं, उनकी तरह से उस ढांचे को अगर आप ला सकें इस देश में तो तब कहीं ऐसे आदर्श को कार्यान्वियन की कल्पना आप कर सकते है। लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तब गारण्टी यह करनी पड़ेगी कि हर मिनिस्टर और मेम्बर के बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और जनसाधारण के बच्चे भी उसी में पढ़ेंगे। हर आदमी के लिए सवारी का इन्तजाम होगा, हर आदमी के लिए घर होगा, निःशुल्क दवा मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा उनको मिलेगी, निःशुल्क न्याय मिलेगा। अगर आप चाहते हों कि ऐसा समाजवादी ढांचा इस पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर इस देश में स्थापित करे तब आप इस किस्म की कुछ बातें कर सकते हैं हालांकि जो कुछ सूचना मुझे है वह यह है कि वहां उन देशो में भी जो पूर्ण रूप से साम्यवादी प्रथा पर आधारित हैं, वहां पर भी किसी न किसी प्रकार का कुछ फर्क है। जब वहां पर है तो यहां पर आप कैसे इस चीज को कर सकते है। इसलिए मैं अपने ज्येष्ठ नेता से अपील करूंगा कि आपने बहुत अच्छा मौका हम लोगों को दिया अपने विचारो को प्रकट करने के लिए लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हू कि मेरे ख्याल से मिश्र जी ने एक बात सोची कि सब लोग चारों तरफ से आज देश में चिल्ला रहे हैं कि कि दो टर्म से ज्यादा किसी को भी लोकसभा का सदस्य बनने का मौका न दिया जाये इसलिए यह रोक मन्त्रियो पर लगा दीजिये जिससे कुछ समझौता हो और उसमें हमारा भी फायदा हो जाये। दो-तीन मिनट टर्म की बात हमारे ऊपर भी लागू न हो सके।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 4.35 पर समाप्त हो रहा है। अभी चार सदस्यों के नाम और हैं, फिर मन्त्री जी और फिर श्री विभूति मिश्र जी हैं। या तो सदन इनका कम से कम एक घंटा समय बढ़ाये या फिर मैं मन्त्री जी को बुलाऊं।

क्या सदन की इच्छा है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाये?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इस पर एक घंटे का समय बढ़ाया गया। श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मिश्र जी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वे हमारी पार्लमेन्टरी डिमोक्रेसी की उन ईंटों में से हैं जिनके बूते पर यह इमारत खड़ी है लेकिन कभी सामने नजर नहीं आती। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। दो टर्म के बारे में उन्होंने कहा है। इसमें मैं माननीय शुक्ल जी की बात मानता हूं यानी दस साल तक मन्त्री जो चाहे करें 11वां साल लग जाये तो उसको हटा देना चाहिए, शायद उनका खयाल है कि दो टर्म से ज्यादा रहने से ही शायद वह कुछ ऐसे काम करने लग जायें जिसकी वजह से उसको नहीं रहना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं जिसे भ्रष्टाचार की तरफ जाना है वह 6 महीने में भी उधर जा सकता है और सारा जीवन भी भ्रष्टाचार की ओर नहीं जा सकता है। इस तरह के उदाहरण हमारे देश मे मौजूद हैं। अगर हम यह कहते हैं कि दो टर्म ही रहना चाहिए तो वे भी उसी तरह अपनी प्लानिंग कर लेंगे। होना तो यह चाहिए कि किसी मन्त्री को मालूम न हो कि वह कब हटाया जा रहा है। इस तरह से उस पर एक अंकुश रहे, रोज सबेरे वे सोचें कि आज हम जा सकते हैं, इस तरह से हर आदमी ठीक काम करेगा। यही चीज आज हो भी रही है और होनी भी चाहिए। हर कोई समझे कि उसकी नौकरी पक्की नहीं है। आजकल दिल्ली शहर में एक मजाक है, वह सही भी है कि किसी चपरासी को मन्त्री ने अपशब्द कह दिए। इस पर लोगों ने उससे कहा कि तुम भी कुछ कह देते तो उसने कहा कि कौन मुंह लगे, वे टेम्पोरेरी हैं और मैं परमानेन्ट हूं। यह भावना भी लोगों में आती है कि मन्त्री लोग टेम्पोरेरी होते हैं।

सभापति महोदय, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं, शायद मिश्रा जी भी शतरंज खेलते होंगे क्योंकि वे मुझसे ज्यादा जेल में रहे हैं। शतरंज मे पैदल की चाल खेलते खेलते जब वह पैदल वजीर बन जाता है तो तिरछा चलने लगता है, फिर उस पर कोई भी रोक-टोक नहीं लगती। सारे 64 घरों में चल कर वह शतरंज की बाजी जीत सकता है। इसी तरह से हमारे पंडित जी शायद घबराते हैं कि पार्लमेन्ट के जो मेम्बर हैं वे तो ठीक चल रहे हैं, एक एक घर चलते हैं लेकिन जहां वे मन्त्री बने, उनका तिरछा चलना शुरू हो जाता है। उनके तिरछा चलने को रोकने के लिए अंकुश रहना चाहिए। लेकिन वह केवल दो टर्म रहे--मैं इसका समर्थन नही करता हूं। मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। आजकल तो ऐसे मन्त्री बहुत कम होंगे जिन्होने दो टर्म पूरे कर लिये होंगे, यहां तो कुछ महीनो का ही सवाल है। इसलिये मैं समझता हूं कि एसे मौके पर इसको न लाया जाय।

जहां तक 1500 रुपये की बात है--बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन जब यहां सदस्यों की तनख्वाह 500 रुपये माहवार बढ़ाई जा रही थी और मैंने उसका विरोध किया था, तो मुझे कहा गया कि यह डेमोक्रेसी है, तरह तरह की बातें उस वक्त मुझे कही गई थीं। जब इसको 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये किया गया, तब भी ऐसा ही कहा गया था, तब फिर मन्त्रियो से हम ऐसी

[श्री एम० एम0 बनर्जी]

उम्मीद क्यों करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हम जब उनके यहां जायें तो वे हमारी कोई खातिरदारी न करें, 1500 रुपये में वह कैसे काम चलायेंगे । मेरी समझ में आप की यह बात नहीं आती है, देखने और सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, सिम्पल लिविंग ज़रूर होना चाहिये, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो यह बिल आना नहीं चाहिये था । इससे क्या होता है—जब हम कोई ऐसी चीज़ लाते हैं तो देश में मज़ाक बन जाता है । आप सदस्यों का वेतन बढ़ाने के लिये बिल लायें, उसका क्या परिणाम निकला, लोगो को प्रचार करने का मौका मिला कि इन को इतनी सहूलियतें मिलती हैं । लेकिन असलियत क्या है । सभापति जी, हमारे ऊपर टेलीफोन का ही इतना मोटा बिल आता है कि हालत खराब है । यहां पर टेलोफोन कटवाय या वहां पर टेलोफोन कटवाय, क्या करें। 17000 रुपये का टेलीफोन का बिल हैं । कोई दिल्ली आता है तो पहले टेलोफोन पर जाकर कहता है कि हमारे घर पर खबर कर दो कि हम दिल्ली पहुंच गये । बतलाइये, कैसे उस को मना करें। जो आदमी गाड़ी में बैठ कर आया है वह दिल्ली तो पहुंचेगा ही, लेकिन कुछ कहा नहीं सकते, क्योंकि खतरा है, कहीं एक वोट कम न हो जाय ।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1500 पये में एक मिनिस्टर को काफी दिक्कत होगी एक तरह से इसको घटाना मज़ाक होगा । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और पंडित जी से गुज़ारिश करता हूं कि वे इसको वापस ले लें । इसमें शक नहीं है कि वे जिस बिल को लाये हैं, उसकी भावना की मैं बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन पहले चीज़ों के दाम गिरने दीजिये, अगर यह उस लाइन पर भी आ जायं जब उन्होंने यह बिल पेश किया था, तब यह ठीक होगा उस वक्त तो हम भी 300 रुपये में चलाने को तैयार हो जायेंगे । जिस वक्त मैं एक कलर्क था और मुझे 150 रुपये माहवार मिलते – उस वक्त मैं ज्यादा सुखी था, आज तो इतनी तनख्वाह और एलाउन्स मिलने के बाद भी समझ में नहीं आता कि कैसे गुज़ारा होगा । इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लें, लोगों के सामने इसका मज़ाक न बनने दें ।

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): Sir, when Roosevalt was elected for the fourth time the girls from the universities came and kissed—not his cheeks—his lips. So, Sir, a man should not be debarred from becoming a minister even if he has completed his second term.

Mr. Chairman, Sir, a man of your calibre has been a minister only for one term and even if you had completed your third term of ministership probably you would have been still younger in age to Shri Bibhuti Mishra. That is why I want this Bill should be withdrawn by Shri Mishra.

I can appreciate the viewpoint of Shri Banerjee that in his fatherlands the leaders continue to be leaders until their death. Stalin continued to be the Prime Minister until his death and Mao Tse Tung is still continuing as the Chairman in spite of his old age. A minister is a leader and not a bureaucrat. If he enjoys the confidence of masses there is nothing wrong if he continues to be the Minister, Prime Minister or President till his death. Pandit Nehru was ever young until his death. The question that a minister should be a minister for not more than two terms does not lie in him. It lies with the people and the voters. We are going to be a socialist State. That means we will believe in the capacity of the people and the party who leads the country. If the party feels here is a Minister who can deliver the goods—no matter whether he has served two terms—he should continue to be a minister.

If a Minister is in power for ten years, he does not monopolise power. Power today remains with the bureaucracy. While going in train, I find that an MP who is elected by the votes of 7 lakhs of people goes by first-class while a Joint Secretary moves by an air-conditioned compartment. The Minister cannot take a saloon if he goes in a railway train, but a member of the Railway Board takes an air-conditioned saloon, a General Manager takes an air-conditioned saloon. What a difference? Where is the power? Power remains with the Minister or the bureaucrats? We have to change the very structure of our society, so that when a member becomes a Minister, he can wield power. What a difference in salary?

I appreciate the intention underlying the Bill moved by Shri Bibhuti Mishra. What is the income of a bureaucrat? Probably he retires on Rs. 3,000. If an ICS, he will retire on Rs. 3,500. What are the amenities they enjoy? Wherever they go, all free, free car, free benefits, free alcohol, free nights, all benefits free. It is common knowledge that a Secretary to Government is the real ruler. We have got to change the structure of society.

AN HON. MEMBER: Moghul.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Moghul, he enjoys imperial power, he enjcys royal power. Our people nowadays are so confused that they think about a Member of Parliament, 'Oh, what a life he maintains?', they think about a Minister, 'Oh God, what a life he leads? He has a car, his son is reading in a convent school?'. Do they know that bureaucrats keep secret accounts in Switzerland? These officers go ten times a year to foreign countries and enjoy right royal treatment at the hands of international tycoons and multinational companies. Do our people know, does a Gandhiite and a saint like Shri Bibhuti Mishra know where power lies? Power does not lie with the Minister. It lies with the bureaucrats, with the system, which we want to cut at the very root.

Shri Bibhuti Mishra is a Gandhiite. He really believes that a Minister should not get more than Rs. 1500. Very true. When Mujibur Rehman came to power in Bangladesh, he said: 'No Minister in my country should get more than Rs. 1000'. What happened? The whole bureaucracy revolted, Bureaucrats who enjoyed life under Ayub Khan, Yahya Khan and others, who were exploiting the people said 'What is this? Thousand rupees. No, no. He should go'. They colluded with CIA and other foreign agents and we know what a tragic end he met with. Another thing. Shri Bibhuti Mishra thinks that a Minister can enjoy a good life with Rs. 1500. Already Shri Daga and others have spoken about the sad lot of an M.P. Take telephone bills. My liability on this account is Rs. 5000 in my constituency and Rs. 4000 here. The STD system is a big nuisance. The guest of an MP will immediately dial Bombay or Hyderabad or Srinagar. Suppose I am in the bathroom for five minutes; he will dial Bangalore. When the Bill comes, we know what a sad Bill it is. This Rs. 1500 is certainly not a big amount.

I personally feel that Shri Bibhuti Mishra should concede that a Minister is not a person who is enjoying a monopoly of power. The Minister is not one who is going to be a very rich man with Rs. 1500. So I hope appreciating all this Shri Bibhuti Mishra will withdraw the Bill.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति जी, जब श्री संजीव रेड्डी कांग्रेस के प्रेजीडेंट थे तो एक मर्तबा उनको इलहाम हुआ था और उन्होंने कहा था कि दस वर्ष से अधिक कोई पावर में नहीं रहे और उसको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सरकुलर वगैरह भेजा था जबकि वे स्वयं 12-14 वर्ष पावर में रह चुके थे और बाद में भी पावर में रहना चाहते थे। कभी कभी यही इलहाम

[श्री डी० एम० तिवारी]

मिश्र जी को भी आया करता है। एक दफा उन्हें इलहाम आया कि राज्य सभा अबालिश कर दो और यह जानते हुए कि हमारे कहने से राज्य सभा अबालिश नही होगी फिर भी उन्हें इलहाम आया। अब उनको इलहाम आया कि मिनिस्टरों का महीना कम हो जाना चाहिए। महीना कम क्यों होना चाहिए इसलिए कि वे काम नही करें या धन खोजने के दूसरे उपाय सोचें। अगर किसी के पास खाने को कम हो, सुविधा कम हो तो वह कोई रास्ता खोजेगा जिससे कि उसकी पूर्ति हो सके। रास्ता खोजने वाले को रास्ता मिल भी जाता है। क्या मिश्र जी का यही इंटेशन है कि लोग रास्ता खोजें और गलत रास्ते से जाकर अपना भरण पोषण करें? अगर यह इंटेशन है तो बात दूसरी है। नही तो कोई भी सेंसिबल आदमी यह नही कह सकता है कि आज के युग में उनका 15 सौ रुपये महीना सीमित कर दिया जाय और इससे उनका काम चल सकता है।

हमारे साथियों ने कहा कि हमे क्या क्या करना पडता है हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हम लोग जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं वह सोचते हैं कि एक असेम्बली के मेम्बर को इतना मिलता है और उनके मुकाबले हमें कम सुविधाएं मिलती हैं। जब हमको साढे सात हजार टेलीफोन काल्ज फ्री हैं तब भी हमारा इतना बिल आ जाता है। साल भर मे पाच-सात सौ रुपये का तो आ ही जाता है। वह भी ट्रंक काल्ज का नहीं, अगर ट्रंक काल्ज करनी पडे तो न मालूम कि बिल कहा चला जायगा। एक सदस्य ने कहा कि जब हम बाथ रूम मे होते है तो पटना, बंगलौर, न जाने कहा कहा लोग टेलीफोन कर बैठते हैं। शायद मिश्र जी के यहा कोई ऐसा नही करता होगा, इस वास्ते उनको इसका अनुभव नही है।

सभापति महोदय : मिश्र जी की तरह आप भी टेलीफोन मे ताला लगा कर रखिये।

श्री डी० एम० तिवारी : शायद लोग उनको क्षमा कर सकते हैं, हमको क्षमा नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते हैं।

मैं मिश्र जी से कहूंगा कि वे यह सब इलहाम की बातें जाने दें और आज जो परिस्थिति है उस पर विचार करें और इस बिल को वापस ले लें। जब हम को पांच सौ रुपये मिलते थे तो हमारा काम नहीं चलता था और हमने उसको बढवाया। अब हमको एक हजार रुपये मिलते हैं और संसद के सेशन के दिनों में 51 रुपया रोज मिलता है तो भी हमारा काम नही चल पाता है। अगर आप मिनिस्टर को 15 सौ रुपये देना चाहते हैं तो 51 रुपए रोज उनको भी मिले तब उनका काम चल जायगा। लेकिन उनको कोई भत्ता नही मिले और उनका 15 सौ रुपया कर दिया जाय तो उनकी पूर्ति कैसे हो सकेगी। इस तरह तो उनको हम से भी कम मिलेगा। एक बार रुपया तो हमे मिलता है और संसद के सेशन और कमेटियों की बैठकों का जो हमें भत्ता मिलता है, उसका करीब सात सौ आठ सौ रुपया महीना हो जाता है। इस तरह हमे 17-18 सौ रुपये मिल जाता हैं। अगर मिनिस्टर का 15 सौ रुपये कर दिया जाय और उन्हे 51 रुपये रोज भत्ता भी नही मिले तो वह तो हमसे भी कम हो जायगा। अगर उनको 51 रूपये रोज भत्ता दे दिया जाय और उनका 15 सौ रुपये महीना सीमित कर दिया जाय तो ठीक कहा जा सकता है। नही तो हम उनसे यह कहेंगे कि तुम कोई दूसरा रास्ता अपनी पूर्ति के लिए खोजो जिससे तुम गुजारा कर सको। ऐसी स्थिति मिश्र जी पैदा न करें।

सभापति महोदय : मिश्र जी के कहने के मुताबिक तो और भी कम हो जायगा। अब मन्त्री को 2,250 रुपये मासिक मिलता है और उसमे से 500 रुपये माह इनकम टैक्स में चला जाता है।

श्री डी० एम० तिवारी : अगर उनका 1,500 रुपया कर दिया जायगा तो फिर

इनकम टैक्स देकर उन्हें 1,100 रुपये ही रह जायगा जबकि हम लोगों का 1,700 रुपये होगा और वह भी टैक्स फ्री। तो शायद उन्होंने यह कभी सोचा नहीं है इसी वास्ते यह बिल ले आये हैं। मैं समझता हूं कि इस सुझाव के लिए वह ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Sir, one must say in all deference to Bibhuti Mishraji, a venerable senior member of this House, that the sentiments as can be ascertained from the objects of the Bill are indeed very laudable. However, if one were to critically examine the provisions of the Bill, it is impossible to understand the logic of the Bill or the rationale of the Bill.

My first and foremost submission is that by this Bill article 75 of the Constitution is sought to be amended, and a proviso is sought to be inserted to the effect that no one would hold office as minister for more than two terms. For this proposal the author has said in the statement of objects and reasons of the Bill that the main purpose is to remove the monopoly of power. If anyone remains in power as minister for more than two terms, he monopolises power and to retain such monopoly, indulges in all sorts of malpractices. This is a classical example of fallacy. The whole thing proceeds on the assumption that a minister by remaining in power for more than two terms monopolises power. My respectful submission is, firstly, a minister is there not because he has any right as such to be there. He is there because the Prime Minister chooses him to be there. Secondly, in a democracy, monopoly of power can never be in the hands of any minister; it is not there even in the Prime Minister's hands. It is not there in the hands of this House even. In a democracy, the people are supreme and they alone monopolise power in this country. Therefore, this assumption is untenable and monopoly of power cannot come about by anyone remaining in authority for more than two terms.

With great respect to the author of the Bill, I submit that the second proviso that is sought to be inserted is an example of sheer ridiculousness. The second proviso states that the salary of a minister, including the rental value of the furnished residence provided to him, shall not exceed Rs. 1500 per mensem! I hope rental value means the market value. The market value of the house of Dr. Seyid Muhammad would not be less than Rs. 3000 P.M. should be return the balance of the money? Even if he came to occupy my servant's quarter, it is not possible to live within Rs. 1500. Car, chaffeur, everything is included in it. A part of it will go by way of tax and from whatever is left, living within that amount is only possible if the minister concerned lives in the servant's quarter. So, a third provision need to be made that the Secretaries will live in posh bungalows and the ministers will live in the servants' quarters. My respectful submission is, this is an utterly untenable proposition. What really hurts me is that it does not reflect very well upon the entire parliamentary life in the country. There is already an erroneous impression in the country that Members of Parliament are enjoying lawish facilities like free telephones, free travel, etc. and further, it is in our own hands to increase our emoluments to any extent. People do not realise how onerous and how cumbersome are the obligations of the people who are elected to this House. Compare ourselves with the elected representatives in the United Kingdom or the United States of America. Naturally, these are far richer countries and so real comparison is not possible. But they are getting 25 to 30 times what we are getting.

After all, in public life the elected representatives ought to get a certain amount of reverence, a certain amount of respect from the people. Otherwise, the whole parliamentary life will become ridiculous. It is true that Shri Mishra is a great Gandhian.

[Shri N. K. P. Salve]

Ostensibly it appears wonderful that simple living and high thinking ought to be the order of the society. That is only possible only if in the world all people live like Gandhiji lived. That is just not at all possible.

Someone was complaining about the telephone facilities. One day the hon. Minister of Communications was asked for information in the House about Members who are in default in the payment of telephone bills, when Shri Bahuguna was the Minister in charge, he announced the names and I found that my name was at the top and the amount outstanding was Rs. 20,000. When I went home and asked my Secretary how it is that such a huge amount was outstanding, he said that people from my constituency had been coming and booking STD and trunk calls. Just before the election people come to Delhi, seeking for tickets. They came and stayed in my house. Feeding 50 people is strenuous enough, but that cannot be avoided. But, in addition to that they use my telephone and book calls to Bhopal and Nagpur. The result is that out of my hard-earned money I had to pay Rs. 20,000. We cannot tell our guests not to use the telephone.

When I entered my parliamentary life I thought I would be able to devote my entire time to politics and parliamentary life. But very soon I realised that I was getting a very meagre amount from Parliament with which it was impossible for me to carry on my living here and maintain a house at Nagpur, where my family lives. It is impossible for any elected representative to maintain himself and maintain another house at another place with the meagre amount he gets from Parliament. So, I had to restart my profession. That is how we live.

Therefore, my respectful submission to Shri Mishra is that he should be magnanimous to withdraw his Bill. We respect his sentiments. We know that he is a Gandhian. But this sort of Bill does not augur well to the image of the entire parliamentary life of the country.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (केसरिया) : सभापति महोदय मुझे माननीय सदस्य, श्री मिश्र, के प्रति बड़ा ग्रादर है, लेकिन मुझे पार्लियामेंट्री जीवन की एक घटना यदि ग्राती है। स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया जब इस सदन के सदस्य थे, तो वह भी एक ऐसा बिल लाये थे कि एक मन्त्री पर 1500 रुपये से ग्रधिक खर्च नहीं होना चाहिए। बाहर बात होने पर उन्होंने कहा कि देखो, हमने कितना बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है। हमने कहा कि ग्रापने यह ग्रच्छा किया है कि यह बिल पेश किया है कि मन्त्री पर 1500 रुपये से ग्रधिक ख़र्च नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रापने बिड़ला ग्रौर टाटा के बारे में क्या किया है—उन पर रोक लगाने की कोई बात नहीं की है।

मुझे लगता है कि यह बिल ठीक वैसा ही है। ग्राज हमारे समाज में पूंजीवादी राज्य है ग्रौर पूंजीवादी व्यवस्था है। यह ठीक है कि हमारे संविधान के ग्रनुसार जनता सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न है, लेकिन उस शक्ति का वास्तव में इस्तेमाल कौन करता है? वास्तव में उसका इस्तेमाल बिड़ला, टाटा ग्रौर वे 75 परिवार करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ सत्तारूढ दल ग्रौर सरकार लड़ने की बात करते हैं, ग्रौर हम लोग जिन के ख़िलाफ़ लगातार लड़ रहे हैं। मुझे खुशी होती, ग्रगर श्री मिश्र इस ग्राशय का बिल लाते कि इस मानोपली को समाप्त किया जाये। इस मानोपली पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि वह कानून लागू होने के बाद भी मानोपली बढ़ती जा रही है। मोनोपली का खतरा ग्राज भी हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है। यह सन्दर्भ है हमारे देश में। इस सन्दर्भ को छोड़ कर साल्वे जी ने ग्रौर दूसरे सदस्यों ने भी बहुत ही उचित तर्क उठाए

हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, आई० सी० एस०, आई० ए० एस० आफिसर हैं, उनको आप 2 हजार, ढाई हजार तनख्वाह दीजिए और जो ट्रेन्ड होते हैं 25 वर्षों मे, जिनके जीवन की ट्रेनिंग होती है अनुभवो से, उनके लिए आप कहिए कि दस साल से अधिक वे मिनिस्टर न रहें और पन्द्रह सौ से अधिक इन को तनख्वाह न दी जाय, इससे बढ़ कर हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। इस देश के सन्दर्भ में, पूंजीवादी राजतन्त्र के सन्दर्भ मे। पूंजीवादी स्टेट मशीनरी मे जो ब्यूरोक्रेसी का सन्दर्भ है उसको बिना समझे हुए यह कह दिया जाय कि 1500 रुपया मिनिस्टर को तलब मिले और दो टर्म से ज्यादा वह मिनिस्टर न रहे, इसका यह भी मतलब है कि दो टर्म से ज्यादा मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर भी नही रह सकता है। यह दुनिया के अन्दर कहीं भी नही है, किसी जनतन्त्र मे नही है और समाजवादी मुल्को मे भी नही है। समाजवादी मुल्को मे जो नेता होते हैं वह कैसे होते हैं ? नेता कोई ऐसे नही हो जाता है। उसके अन्दर कुछ क्वालिटीज होते हैं, जिनके द्वारा ही वह अपनी पार्टी का नेतृत्व करता है और मासेज का नेतृत्व करता है। आप देखें माओ-त्से-तुंग की कितनी आलोचना हम करते हैं, हम उसका समर्थन नही करते, लेकिन तमाम आलोचनाओ के बावजूद माओ-त्से-तुंग चीन की गद्दी पर बैठे हुए हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मे पावर होल्ड कर रहे हैं। सारी आलोचनाएं हम लोग करते हैं, दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां आलोचना कर रही हैं तब भी वह गद्दी मे बैठे हुए हैं। तो इस माने मे जब हम देखते हैं और फिर यह कहते हैं कि दो टर्म से ज्यादा कोई पार्लियामेंट का मेम्बर न रहे, दो टर्म से ज्यादा कोई नेता न रहे, कोई मिनिस्टर न रहे तो यह बिल्कुल रिडिकुलस बात है। यह यथार्थ की बात नही है। यह बिल्कुल आदर्शवादी बात है जिसका कि बहुत अच्छी तरह से हमारे बैनर्जी साहब ने मजाक उड़ाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिल मे कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है, राजसत्ता का ज्ञान नहीं है, इस सन्दर्भ का ज्ञान नहीं है, देश की परिस्थिति का ज्ञान नही है, केवल एक आदर्शवादी कल्पना है लोगो के कहने के लिए। दरअसल जो लोग सादगी की बात करते हैं लोगों के सामने, जीवन के अन्दरूनी पहलुओं मे उनका सादगी के साथ कोई मेल नहीं रहता है। जो टाटा और बिरला की वफादारी करते हैं और उसके बाद सादगी की बात करते हैं तो यह क्या है ? यह तो कथनी और करनी में कोई मेल नहीं हुआ। यथार्थता होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्यो ने भी बहुत सी बातें कही हैं, मैं विरोध नही कर रहा हू लेकिन मैं यह कह रहा हू कि कथनी और करनी में मेल की बात होनी चाहिए। यह नही होना चाहिए कि हम लोगो के सामने एक डेमोगागी करें कि हमारा खानपान सादा होना चाहिए, हम को एक ही कुर्ता रखना चाहिए, हमको इतनी छोटी धोती खादी की पहननी चाहिए। जमाना तो टेरीलिन, टेरिकाट और डेकोरान का हो रहा है, विज्ञान मे इतनी प्रगति हो रही है और ऐसे जमाने में हम यह कहें कि हाथ से काते हुए सूत का कपड़ा ही देश मे सबके लिए अनिवार्य होगा तो बन्द कर दीजिए टेरिलीन, टेरीकाट और नाइलोन की सारी फैक्ट्रियो को। यह इसका लाजिकल कान्क्लूजन होता है। इसलिए लाजिकल कान्क्लूजन के रूप मे भी यह बिल मानने लायक नही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल यथार्थवादी दृष्टिकोण से सोचा हुआ नही है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी सोचा हुआ नही है और जो पूंजीवादी राजसत्ता के अन्दर स्थिति है उस दृष्टिकोण से भी सोचा हुआ नही है। किसी भी दृष्टिकोण से सोचा हुआ यह बिल नही है, केवल डेमागागी है, एक आत्मप्रवचना है और कुछ नही है। इसलिए इस बिल को सदन को रिजैक्ट कर देना चाहिए और खुद माननीय मिश्रा जी को भी अपने आप इसे वापस ले लेना चाहिए। बिना सोचे समझे

[श्री कमल कुमार मिश्र]
उन्होंने यह बिल ला दिया, बहस भी हो गई और पार्लियामेंट का समय भी इसमें गुजरा जो मैं समझता हूं कि बेकार की बहस में ही गुजरा । इसमें कोई वास्तविकता नहीं थी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD): Bibhuti Mishraji has introduced this Bill to amend article 75 of the Constitution. In the first part of the Bill he proposes to introduce a provision to the effect that no Minister shall continue in office for more than two terms. In the second part he wants to restrict the pay of a Minister, including amenities, to Rs. 1,500 per month. Mr. Bibhuti Mishra is a very respected, venerable veteran, both inside and outside Parliament; his opinions and sentiments are highly respected, he is a person who has seen the rise and fall of many a Minister, he has seen Ministers rising to that office and fading away, so that his opinion, based on experience and idealism, is very well respected. Some of the hon. members who spoke like Mr. Salve, Mr. S. M. Banerjee, Mr. Tiwary, Mr. Mohapatra, Mr. Madhukar and many othershave put forward very strong arguments oppsoing the Bill. Therefor, my efforts will not be very extensive: I need not deal with them in detail.

The first part of the Bill is that the term of a Minister should be confined to a maximum of two terms. From the speeches of the hon. Member who introduced the Bill and of those who supported it, it appears that the main reason is that, once a Minister continues for two terms, he monopolises power in the sense that continuation in the office for such a long time is, in itself, bad, and apart from that, by the time he has been in office for a long time like ten years, or twelve years in the case of Rajya Sabha, he acquires certain propensities which are not desirable in a Minister. Mr. S. M. Banerjee has rightly pointed out that, if a Minister has got such tendencies or propensities, it does not require him to remain in office for eight years or ten years or twelve years, he will start exhibiting those vicious propensities within a few months of his assuming the office. There is also another danger. If a Minister has such propensities and if he is definite that after a particular period of time, say, ten years, he will have to go, with the chance never to come back, one can imagine what will happen in the last two years. So, it is better not to confine it with a certain limitation, otherwise, sufficient notice is given to him, 'You are to be out within a certain period, so, do whatever you want within that period'. Therefore, such a fixation will not really act as a bar or as a limitation on a Minister who has the natural tendency to be so, this will not restrain him from indulging in those things.

The idea seems to have been taken from what happened in America when President Roosevelt was successfully elected for four terms, at that time in America a Bill was introduced that no President shall be in office for more than two terms. There may be strong reasons—I am not justifying it. The reasons which had been given at that time and subsequently in books and articles are that, in America, the situation is that the public offices include the appointment of Ministers, and Ministers are not responsible to Parliament, the public offices go with the choice of the President, so that the system of spoils became a regular evil there. So, they thought that, if the President were elected for more than two terms, this spoils system would continue for a longer period which was not desirable in the interest of the country. But I need not tell Mr. Mishra and those who have supported his Bill that we have, here, an entirely different system; we have a system based on Parliamentary democracy, where the people's representatives place their confidence in the Prime Minister. The Prime Minister, according to her or his best judgment and chice, selects the Ministers and

the Ministers themselves are responsible to Parliament. There is no question of a spoils system here. We have an entirely different bureaucracy a permanent bureaucracy, with all its merits and demerits, but not the demerits of the spoils system. So, in a situation like that, actually the Minister concerned has no choice whether he wants to continue for more than one term or even half a term or even six months. It is entirely a matter for the Prime Minister. Then not only in India but, as everybody is aware, in the entire democratic system and particularly, the parliamentary system I am referring to, the election itself has become really an election to choose the Prime Minister. It is really the personality and the confidence the Prime Minister commands which more often than not determines. That is what the constitutional experts say nowdays. It is the determining element which is the Prime Minister and the election a country undergoes is really to elect the Prime Minister. That is why the Prime Minister has become powerful in a parliamentary democracy. It is not a feature of this country alone. In England and everywhere you will find it. The Prime Minister is the real pivot and it is the Prime Minister who chooses the Ministers and as long as a Minister has gained and continues to enjoy the confidence of the Prime Minister, which, of course, is reflected in the confidence which the Parliament itself has placed in the Prime Minister he can continue but the moment he loses that confidence, he goes.

Then, the Prime Minister is selected for various reasons, and normally for his or her efficiency, integrity, and for various other qualities. Of course, political expediency and political considerations also enter into—the picture provided the first two basic qualities are there. Then, as Ministers go on, they gather experience and the experience itself may add another element for the selection and which induces the Prime Minister to select a Minister or continue him as a Minister. Thus, here the considerations are entirely different from what we get in America. The rule was enunciated and initiated after President Roosevelt's four terms under special conditions—to adopt it in our conditions which are entirely different, as I said, will not justify.

I need not go further into details because various able speakers whose names I mentioned have given the reasons why this portion of that amendment, *viz.*, a Minister should not continue for more than two terms is now not necessary and as the expression goes, as the Shakespearean expression goes, after their able arguments, I will not attempt to burn the building.

I will next deal with the aspect of the salaries and allowances. Being myself a Minister, it is not proper for me to wail over the bad conditions and terms and conditions of a Minister. I came with an open eye and now it is not proper for me to say that it is not sufficient and a Minister should be paid more. I will not indulge in that impropriety of myself talking about it. But I wish to bring to Mishraji's notice certain facts.

As you are aware, the Government of India Provisional Constitution Order of 1947 allowed to the Members of Governor-General's Executive Council a salary of Rs. 5,500 and with an equipment allowance, which is a sort of a sumptuary allowance or whatever allowance you may call it, of Rs. 3,320. So, altogether it came to Rs. 8,900 per month. It will be equivalent to Rs. 24,000 or Rs. 25,000 taking into consideration the inflation and rise in prices now. The Dominion Legislature passed the Ministers' Salaries Act, 1947, which made the following provision in respect of salary etc. for the ministers of the cabinet rank:

Salary of Rs. 3,000 p.m.
Sumptuary allowance at the rate of Rs. 500 p.m

[Dr. V. A. Seyid Muhammad]

Fully furnished residence in New Delhi and in Simla with free supply of water and electricity.

You will see that straightway there was a reduction from Rs. 8,900 to Rs. 3,500.

17 hrs.

The salaries of the Ministers Act, 1947 was amended in 1950 to provide that each Minister of State shall be paid a salary of Rs. 3000 and each Dy. Minister, a salary of Rs. 2000 p.m. Cabinet Ministers alone were than entitled to free furnished residence. Under the Salaries and Allowances of Ministers Act of 1952, Minister of State got a salary of Rs. 2250 p.m. and Deputy Minister, Rs. 1750 per month. They were allowed other facilities, free house and other things. After this there was no increase. It stayed there at the salary fixed in 1952, that is, almost 25 years ago. To give an idea of the magnitude in rise in prices it may be stated that the average consumer price index has risen from base 100 in 1949 to 348 in March, 1976 and from base 100 in 1960 to 286 in March, 1976.

Under the Ministers' Residence Rules, 1962, Cabinet Ministers and Ministers of State have to be allotted residence of which the standard rent or pooled rent under FR 45A does not, as far as possible, exceed Rs. 650 per month. In the case of the Dy. Minister the limit is Rs. 350 p.m. Again, according to the Ministers' Residences rules, furniture and electrical appliances of value not exceeding Rs. 38500 may be provided free of rent in a residence allotted to a Cabinet Minister or a Minister of State. The corresponding limit in the case of a Deputy Minister is Rs. 22,500. This does not apply to furniture and electrical appliances supplied for use in the portion of the residence set apart for office purposes. The rental value of the furniture including electrical appliances on an average comes to Rs. 622 p.m. in the case of a Cabinet Minister or a Minister of State and Rs. 374 in the case of a Dy. Minister.

SHRI N. K. P. SALVE: This is national rent. Market rent will be much more.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Yes. If these rates of rent for accommodation and for furniture and electrical appliances are taken into account, the salary proposed in the Bill, namely, Rs. 1500 per mensem would further be reduced by Rs. 650 plus Rs. 622, that is, Rs. 2,1272 per mensem in the case of Cabinet Minister or Minister of State and Rs. 350 plus Rs. 374, that is, Rs. 724 in the case of Deputy Minister. This being the position, without really making a cry over it, it will be practically impossible for any Minister to carry on, and as Mr. Salve has said, he will have to shift practically to servant quarters. I am sure with all the good intentions and the ideals and idealism behind this Bill, which Shri Mishra ji has brought forward, we would not like Ministers to be reduced to such a position.

Sir, I do not propose to take any further time of the House. I oppose the Bill and in the circumstances I most earnestly and sincerely request Shri Mishraji to withdraw the Bill.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : सभापति जी, मेरे विधेयक का जिन लोगों ने समर्थन किया है उनका भी स्वागत करता हूं और जिन्होंने विरोध किया है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि तुलसी दास जी ने जो रामायण लिखी, उसमें उन्होंने सब की वन्दना की। उसी स्पिरिट में मैं भी सब की वन्दना करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री को छोड़कर, हमारे कुछ साथियों ने, श्री बनर्जी, जो कि इस समय यहां नहीं हैं, वह बराबर विरोध करते थे कि मैम्बरों की सैलरी को न बढ़ाया जाये, आज उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। मालूम होता है कि उनको धीरे-धीरे एक्स-

पीरियेंस प्राप्त हो रहा है। जो देर से आये, लेकिन दुरुस्त आये तो उसको समझना चाहिये कि वह दुरुस्त ही है।

मेरे एक साथी ने मोटे खद्दर की बात कही है। मैं अपने उन साथी से कहूंगा कि वही मोटा खद्दर है जिसने सब को इस गद्दी पर लाकर बैठा दिया है। आज आप मोटे खद्दर की भर्त्सना मत कीजिये, जब मोटे खद्दर की बात थी, तो शायद उस समय वह राजनीति में होंगे या नहीं होंगे, या उनकी पैदाइश भी हुई होगी या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिये आज भले ही उनके लिये टैरेलिन का युग हो जाये, लेकिन मैंने उस मोटे खद्दर के युग को देखा है।

एक बार राजेन्द्र बाबू को खुजली हो रही थी। लेकिन वह मोटा खद्दर पहन कर ही मेरे साथ सेजाघाट से चम्पारन आये। उनके पीप निकल रही थी, बार-बार खुजलाते थे, लेकिन फिर भी वह मोटा खद्दर ही पहने रहे। आज मोटे खद्दर की वजह से ही यहां गद्दी पर बैठे हैं, और हमारे साथी लोग टैरेलिन की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि मोटे खद्दर की आज भी जो इज्जत है वह टैरेलीन की नहीं है।

अभी मेरे एक साथी ने कहा कि फ़ैलेसी है। मैं कहता हूं कि 1920 में जब गांधी जी ने आन्दोलन किया तो श्री वारेन्द्र बाबू ने कलकत्ते में सी० आर० दास से कहा कि माई लार्ड और सर कहने से और टोप पहनने से हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं होगा, इस सबको हटा कर गांव में चलिये, तभी हिन्दुस्तान की आज़ादी होगी। सी० आर० दास ने उसी दिन से सारा काम छोड़ दिया। उस समय अगर वह वकील लोग अपनी वकालत छोड कर आम जनता के साथ न आये होते तो आज हिन्दुस्तान की आज़ादी नहीं होती और वह टेलीफ़ोन और रैफ्रीजरेटर का बिल वगैरा का हिसाब नहीं जुड़ता।

सभापति जी, हम लोग किसानों के यहां गांव में जाकर के चारपाई पर भी नहीं, जमीन में सोये हुए हैं। जो खाना खाया तो खा लिया, अगर नहीं खाया तो बगैर खाये ही उनके साथ सो गये, तब यह आज़ादी आज आई है। इस आज़ादी के आने के बाद हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलेगा।

आज 40 रुपये माहवार पाने वाला गरीब, बार्डर लाइन पर है, वह किस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर करता है? वह हमको वोट देता है, उसके पास जूता नहीं है, छाता नहीं है, लेकिन हम उसकी बात को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम यहां आ गये हैं तो बड़े आदमी हो गये हैं! मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फ़ैलेसी नहीं है, यह फ़ैक्ट है। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की तारीफ़ करनी चाहिये, अगर वह एमरजैंसी न लाई होती तो जिस तरह की हमारे खिलाफ़ यहां हवा बनाई जा रही थी तो हिन्दुस्तान में इन फ़ैलेसी करने वालों ने हमारे दो टुकड़े कर दिये होते।

सभापति जी, आपको याद होगा जिस समय हम लोगों की सैलरी 421 रुपये कराई गई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ था मेरे पास कार नहीं थी। पुलिस ने हमारी कार जप्त कर ली। ये शब्द पंडित जवाहरलाल जी ने सैंट्रल हाल में कहे थे और उन्होंने कहा था कि हमारी हालत क्या पूछते हो, हम तो कभी टांगे और टमटम पर चलते थे। आज हमारे साथी कहते हैं कि साहब यह नहीं है, यह जरूरी है।

आज मैं थोड़ा शरीर से कमज़ोर हो गया हूं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप मेरे जिले के और सूबे के लोगों से पूछिये, सन 1952 और 1957 के इलैक्शन मैंने साइकिल पर चढ़ कर जीते हैं, एक सैकिंड भी मैं किसी गाड़ी पर नहीं चढ़ा। अगर मैं

[श्री विभूति मिश्र]

असत्य कहता हू तो आप इस बात को चैलेंज कर के वहां के लोगों से पूछ लीजिये, क्योंकि बहुत से लोग अभी जिन्दा है । आप यहा कहते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलता हैं । आप गरीब देश के प्रतिनिधि होकर यह कहते हैं कि हम ढकोसला करते है । सभापति जी, मैं ढकोसला नहीं करता हू, सही बात कहता हूं । आप यह नहीं समझिये कि आज एयरजैसी लगने के बाद हम बालकानों पर नही है । आप इस बात को समझ लीजिये, आज भी हम बालकानों पर हैं ।

कृपने वयोवृद्ध साथी के प्रति मुझे दया आती है। वह कहते हैं कि यह बात इनसेन्सिबल है। जिन के देश के लोग सत्तू खा कर गुजारा करते हैं, वह कहते हैं कि यह इनसेन्सिबल है । सेन्स का होना या न होना तो मन पर निर्भर करता है। अगर कोई सत्तू खाकर संतुष्ट रहता है, तो उस मे सेन्स है । बहुत से लोग पकवान खाते हैं और एयर-कन्डीशन मे रहते हैं, लेकिन उन को शाति नही होती है। अगर मन मे सेन्स और शाति हो, तभी वास्तव मे शाति है ।

मैं यह भी कहना चाहता हू कि यह इल्हाम नही है । अगर माननीय सदस्य जैसे आदमी होते, तो हिन्दुस्तान कभी आजाद न होता । बहुत से लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेज यहा से चले जायेंगे । एक बडे भारी विरोधी नेता को भी, जो इस समय पटना मे बीमार है, यह विश्वास नही था कि 15 अगस्त की रात को अंग्रेज यहा से चले जायेंगे । यह इल्हाम नही है । मैं सही बात कह रहा हू ।

श्री डी० एन० तिवारी उस मे और इस मे तुक क्या है ?

श्री विभूति मिश्र . मेरा तात्पर्य यह है है कि गरीबी मे रह कर भी आजादी ली जा सकती है और राज्य-कार्य चलाया जा सकता है । जब ऐसा प्रस्ताव हो गया, तो वहां यह प्रचार हुआ कि लेनिन बड़े आराम से रहता है । लोक लोग लाठी-डंडा ले कर गए और दरवाजा तोड़ने लगे । लेनिन ने कहा कि उन लोगों को आने दो । लोगों ने अन्दर जा कर देखा कि लेनिन चटाई पर सोता है और उस का रहन-सहन गरीबों का सा है। जिन लोगों ने यह अफवाह उड़ाई थी, तब वे लोग उन को मारने के लिए चले गए ।

माननीय सदस्य के सूबे में, सोनपुर के आस-पास, चाणक्य रहता था । वह नाव से नदी पार कर के आता था और चन्द्रगुप्त का राज्य चलाता था । वह विद्यार्थियों को पढाना था और विद्यार्थी उस को जो थोड़ा-बहुत चावल देते थे, उन को हांडी मे बना कर खाता था । ससार मे ऐसा पालिटीशन अब तक नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य इस बात को असम्भव न समझे ।

श्री शुक्ल ने कहा है कि 1500 रुपए और सब सहूलियतो से काम नही चलेगा । जो वकील लोग हमारे साथ आजादी की लडाई मे आये थे, उन का संस्कार हम लोगों ने बदल दिया । लेकिन जो लोग खुशहाली मे आये है उन का संस्कार कैसे बदलेगा ? वह असम्भव है । उन के संस्कार को बदलने के लिए मोहनदास कर्मचन्द गाधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू पैदा हों—तभी उन का संस्कार बदल सकता है । लेकिन वे दिन चले गए । मुझे वे दिन याद हैं। मुझे वे दिन भूले नहीं हैं।

श्री डी० एन० तिवारी राजेन्द्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू यहां मौजूद थे और उन्ही लोगो ने इस को फिक्स किया है—दूसरे लोगो ने फिक्स नही किया है। माननीय सदस्य उस को बदलना चाहते है । क्या वह समझते हैं कि वे अपने आदर्श से हट गये थे ?

श्री विभूति मिश्र : मैंने राजेन्द्र बाबू और जवाहरलाल जी से बात की । उन्होंने कहा कि हम क्या करें, लोग नहीं मानते हैं।

अपनी जिन्दगी में वे उसी आदर्श के अनुसार रहते थे। मैंने राजेन्द्र बाबू से पूछा कि आप चाय क्यों पीते हैं। उन्होंने कहा कि क्या करें, सारे देश के लोग खाते हैं, चाय पर बात होती है, इस लिए मैं पी रहा हूं।

श्री डागा ने हरियाणा और राजस्थान की बात कही। हरियाणा या राजस्थान हमारे आदर्श नहीं हो सकते है। हमारा आदर्श तो हमारा देश है—हमारे देश के ऋषि-मुनि किस तरह रहते थे, किस तरह राज्य चलाते थे। इन के राज्य के लोग तो हमारे यहा लुटिया ले कर जाते हैं और सेठ बन जाते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा, मैं इस बात को नहीं मानता जो कही गई, मेरा यह कहना है कि अगर मेरा सेक्रेटरी अच्छे बंगले में रहता है और मैं सर्वेंट क्वार्टर मे मैं रहता हूं तो मैं उस के बाद भी उस का मालिक ही रहूंगा। मेरा चरवाहा पहले दही खाता है, हम घर वाले पीछे खाते है। और अगर यह कहते हैं कि आप का सेक्रेटरी इस तरह से रहते हैं तो यह तो आप का काम है कि अपने सेक्रेटरी को ठीक करें। अगर अपने सेक्रेटरी को ठीक नही कर सकते हैं तो आप क्या क्षमता रखते हैं? आप ने तो कबूल किया कि असल रूलर सेक्रेटरी है। हमारे साथियों ने कहा कि सेक्रेटरी ज्यादा ताकत रखता है तो मैं कहता हूं कि हम को जनता ने जब चुन कर भेजा तो हम किस मर्ज की दवा हैं? हम से तो ज्यादा शिकायत मिनिस्टर्स की हो गई कि सेक्रेटरी जाता है एयर कंडीशंड में और मिनिस्टर जाता है फर्स्ट क्लास में तो यह तो मिनिस्टर की शिकायत है....

सभापति महोदय : नहीं, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों उस में एलाउड हैं। वह महापात्र जी ने अपने लिए कहा कि वे एलाउड नहीं हैं। उन्होंने अपने लिए कहा।

श्री विभूति मिश्र : मैं तो अपने साथियों के लिए कहता हूं कि ये शिकायत करते हैं। यह तो आप की अपनी शिकायत है। आप इतने दिन से मेम्बर हैं, आप कुछ नहीं कर सके।

मेरा इस बिल के लाने मे यह विचार था कि मिनिस्टर होने से पावर कंसेंट्रेट हो जाती है। आप ने देखा होगा कि नपोलियन थर्ड पहली बार जब आया तो उस ने कहा कि कांस्टीट्यूशन बनाओ। लोगों ने बना कर दिखलाया तो कहा कि यह बड़ा कमजोर है। फिर इस को ठीक से बनाओ। ठीक से बना कर लाए तो कहा कि हां, ठीक है। जब दूसरी बार वह चुन कर आया तो नैपोलियन फिर डिक्टेटर हो गया। इसीलिए मेरा यह ख्याल है कि हमेशा पावर किसी के हाथ मे नही रहनी चाहिए। ज्यादा पावर रहने से आदमी ताकतवर हो जाता है और और पावर चाहता है। मेम्बरो ने अपने को ले लिया। मेम्बर का तो कहीं नाम ही नही है। यह तो मेरी समझ मे नही आता है, किसी ने शीम पर मारा तो पहाड फोडने के लिए चल पड़े। मेम्बर का नाम इस मे कहां है? मैने तो कहा कि पावर कहा कंसट्रेटेड है? पावर तो मिनिस्टर मे कंसेंट्रेटेड है। मेम्बर में क्या है? हम तो सिफारिशी बाडी है, सिफारिश करते है। पावर हमारे पास कहा है जो मेम्बर इतने घबरा गए और अगर घबरा गए तो अमेंडमेंट लाते। लेकिन अमेंडमेंट भी नही लाए। तो यह समझ मे नही आया कि हमारे साथी लोग किस तरह से पढते हैं और किस तरह से सोचते है।

फिर इस मे मैंने कहा कहा कि आफिशियल ड्यूटी को करने के लिए आप को सहूलियत नही देंगे? इस में तो यह नही लिखा है। मान लीजिए हमारे बोडर पर कोई हमला कर दे और मैं कहूं कि बैलगाड़ी में चले, पदल चलें तो यह तो मैंने नहीं कहा है। सरकार का

[श्री विभूति मिश्र]

काम चलाने के लिए जितनी जरूरत हो वह सारी सुविधा इन को देनी होगी। लेकिन मिनिस्टर अपने काम के लिए सरकारी साधन न इस्तेमाल करें। जसे आज मिनिस्टर नहीं हैं या मिनिस्टर हैं तो भी अपने घर जाना है तो सरकारी गाडी अपने प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल न करे। मेरा मंशा यह है कि सरकार के काम मे जो एफिशेंसी के लिए आवश्यक हो उस मे कही कोई बाधा नही देनी है। हा व्यक्तिगत काम मे हम को जनता की तरह से रहना चाहिए यह हमारा विचार है और पावर एक जगह कन्सेंट्रेट नही हो। फिर ये कहते हैं कि पन्द्रह सौ रुपया कम है। मैं समझता हूं कि आप के अपने घर पर और मंत्रियों के घर पर गद्दे वाली कुर्सिया न हों, काठ वाली कुर्सिया हों तो क्या कुछ बेजा होगा? हार्ड बेड पर तो हम खुद सोते है। तो उस तरह मे आप रहिए, अपना खर्चा कम कीजिए। लेकिन मैं जानता हू कि मेरे जैसे आदमी की बात चलेगी नही। मैं इस बात को महसूस करता हू हम लोग थोडे से बच गए हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हू कि लाख फेमिली प्लानिग के बाद भी अगर हम लोग इस तरह से जनता के साथ नही होगे तो जनता माफ नही करने वाली है।

दवा देकर बुखार को दबाया जाता है, बहुत सी चीजे है जो दबा दी जाती है लेकिन समय आने पर उनमे उभाड आता है। इसलिए मैं कहूगा कि समय रहते अगर आप लोग नही चेतेंगे तो काम नही बनेगा। मैं यह बात दिखावे के लिए नही कह रहा हूं। मैं यहा पर रहता हू, मेरे घर म एयर-कंडीशनर नही है फिर मैं कैसे रहता हू और बाहर कैसे सोता हू, इसको आप समझ सकते है। मैं कहता हू हमारे यहा परिपाटी चल गई है। जैसे हम पहले कांग्रेस मे रहते थे वह चीज अब रही नहीं। अभी हम ने ए आई सी सी की मीटिंग मावलंकर हाल मे अटेंड की जहा कुर्सियां लगाई गई लेकिन पहले हम जमीन पर बैठते थे। इस तरह से बात बदलती है लेकिन हम जैसे जो कुछ पुराने आदमी हैं उनका दिमाग धीरे धीरे बदलता है। बुढापे मैं कुछ लालच भी आ जाता है। लेकिन मैं क यह कहूंगा कि मेरे दिल की मंशा किसी की तौहीन करने की नही है। मेरे दिल की मंशा यही है कि इस देश की जनता जिस तरह से रहती है उसी तरह से हम भी रहें। हम लाख फेमिली प्लानिंग की बातें करे लेकिन जब तक हम आदर्श नही दिखायेंगे तब तक कुछ नही होगा। अगर गांधी जी जेल नहीं जाते, प० जवाहरलाल नेहरू जेल नहीं जाते और हम लोग जेल नहीं जाते तो क्या आदर्श बनता। आपको याद होगा सन् 1932 के आन्दोलन के आस पास पं० मोतीलाल नेहरू ने एक सर्कुलर दिया था कि हर आदमी अपने को इतना अपरिहार्य न समझे कि जेल न जाने से देश का काम होगा, हर आदमी को अपना काम छोड़ कर जेल जाना चाहिए और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम लोग आदर्श प्रस्तुत नही करेंगे तो जनता हमको माफ नहीं करेगी।

हमारे मत्री जी ने जो जवाब दिया है वह ठीक दिया है। उनकी बात उचित ही है। उनके जवाब म सौम्यता थी। वे मुझे वापिस करने के लिए कहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक डिसिप्लिंड सोल्जर होने के नाते अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"भारत के सविधान का और सशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

The motion was adopted.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं अपने विधेयक को वापिस लेता हू।